

**मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2217**

मद कमांक 1

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार मूलभूत सेवाओं के लिये नगरीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान हेतु रूपये 417.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद कमांक 2

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वाणिज्य कर पर प्रभारित अधिभार की राशि का नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने हेतु रूपये 3000.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 3

वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए रूपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद कमांक 4

विशिष्ट प्रयोजनार्थ क्रष्ण मद में बिलासपुर शहर के भूमिगत नाली निर्माण तथा प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के भूमि अधिग्रहण हेतु रूपये 2000.00 लाख के क्रष्ण की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।